



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042021-226548
CG-DL-E-13042021-226548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1452]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943

No. 1452]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2021

का.आ. 1563(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.378 (अ) दिनांक 27/04/2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के पंचकूला जिले में NH-73 के कि.मी. 157.192 से कि.मी. 179.285 (पंचकुला) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16-5-2020 को हिंदुस्तान टाइम्स(अंग्रेज़ी) और 17/05/2020 को अमर उजाला हिन्दी दोनों में प्रकाशित किया गया था ; और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के पंचकूला जिले में NH-73 के कि.मी. 157.192 से कि.मी. 179.285 (पंचकुला) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: हरियाणा			जिले का नाम: पंचकूला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पंचकूला				
	गांव का नाम: मान्कां ह. ब. संख्या 233				
1	5//37/2	निजी	बाग बरानी	0.0477	बलदेव सिंह गुरनाम सिंह राम सिंह S/O प्रीतम सिंह इक्कल शेयर मालिक कामिल १२० ५१० मालिक काबिज ३९० ५१० (5//37/2)
			कुल	0.0477	

[फा. सं. NHAI/BOT/11013/4/2009/HRY/3A/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2021

S.O. 1563(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number SO 1378 (E) 27th April - 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH73 on the stretch of land from Km. 157.192 to Km. 179.285 (Panchkula) in the district of PANCHKULA in the state of HARYANA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan Times (English) on dated” 16th May, 2020 and in “Amar Ujala” (Hindi) on dated 17th May 2020 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-73 in the stretch of land from Km. 157.192 to Km. 179.285 (Panchkula) in the district of PANCHKULA in the State of HARYANA.

State: HARYANA		District: PANCHKULA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Panchkula				
	Village: Mankyan H.B. No. 233				
1	5//37/2	Private	Baag Barani	0.0477	Baldev Singh, Gurnam Singh, Ram Singh Ss/o Pritam Singh equal share Maalik Kaamil 120/510 Maalik Kaabij 390/510. 5//37/2
			TOTAL	0.0477	

[F. No. NHAI/BOT/11013/4/2009/HRY/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Director